आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है, राजस्व ग्रम अरड़ावता की भूमि जो वाद पत्र में नजरी नक्शा सूची–'क' (प्रदर्श–25) के मुताबित दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें के आदेश तहसीलदार चिड़ावा को दिये जाते है। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा (झुंझुनू)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
12.06.24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में आज मूल वाद पर आदेश दिया जाना है बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी अंकित तथ्यों को दोहरान करतें हुये कथन किया था कि राजस्व ग्रम अरड़ावता के भूमि खसरा नं0 574 रकबा 1.77 हैक्टै0 जो वादी श्रीराम की खुद काश्त की पैतृक सम्पति की है। जो 75 वर्ष पूर्व से वादी के स्वर्गीय पिता नौरगराम की कय की गई थी, वादी के पिता नौरगराम की मृत्यु गत 18.06.2008 को होने के बाद उक्त भूमि मे नौंरगराम का एक मात्र उत्तराधिकारी वादी श्रीराम होने के कारण श्रीराम खातेदार काश्तकार हुआ और तब से वादी उक्त भूमि का लगान भी अदा करता रहा है जिसकी रसीद पत्रावली के संलग्न है। वादी भूमि खसरा नं0 574 के पड़ौसी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 575 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 576 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 577 रकबा 5.43 है0, खसरा नं0 578 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 584 रकबा 6.27 है0 कुल रकबा 11.82 है0 मौजा अरड़ावता में स्थित है। सहवन से भू–राजस्व अभियान (सैटलमेण्ट) 1978–80 के दौरान राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भू व गलती से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की उक्त आराजियात के पश्चिम–उत्तर में नक्शे में गलती से दर्ज हो गई, जबकि वादी की उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 574 रकबा 1.77 है0 की उक्त खसरा नं0 577 रकबा 5.43 है0 के उत्तर–पूर्व कोने की सलंग्न नजरी नक्शा सूची–क के अनुसार स्थित है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड के नक्शे में दुरूस्ती कि जावे। उक्त भूमि के सम्बध घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का एक दावा वादी के पिता नोरगराम ने मुकदमा नं0 30/1997 उनवानी नोरंगराम बनाम बंशीलाल आदि का न्यायालय सहायक कलेक्टर झुन्झुनूं में प्रस्तुत किया था, जो कि दिनांक 27.08.1997 को न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारीत कर दिया था। उस वक्त वादी भारतीय सेना मे सेवारत था और वादी के पिता स्वर्गीय नौरगराम उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपिया निकलवाकर अपने घर लाकर अज्ञानतावश अपनी खातेदारी में नाम दर्ज नही करवाया गया। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रम अरड़ावता के भूमि खसरा नं0 574 रकबा 1.77 है0 है व प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 577 रकबा 5.77 है0 के उत्तर–पूर्व कोने में उक्त खसरा नं0 574 की वर्तमान रिकार्ड व नक्शा में किया जावे और वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में नक्शा की भूमि खसरा नं0 574 रकबा 1.77 हैक्टै0 की प्रतिवादीगण को उक्त भूमि खसरा नं0 577 रकबा 5.43 हैक्टै0 के पश्चिमी–उत्तर कोने की दुरूस्ती भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के हक में दर्ज कर दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। अतः वाद पत्र व दस्तावेजात, न्यायालय सहायक कलक्टेर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 27.08.1997 का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायाचित प्रतित होता है।	

उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा (झुंझुनू)